—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव
राजस्व प्रकरण संख्या :— 130/2024

उनवान

1. मधु पत्नी मनोज कुमार
2. संजू कुमारी पुत्री ओमप्रकाश समस्त जाति भांबी निवासी ग्राम बिठुर, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवकता श्री अभिषेक जैन

बनाम

1. भंवरी पत्नी छोटू जाति गुर्जर निवासी बलवन्ता, अजमेर
2. घीसू सिंह
3. तेज कंवर पि. भंवर सिंह
4. तोप कंवर पत्नी भंवर सिंह
5. दीप कंवर
6. पुष्पा कंवर
7. भीम सिंह पि. भंवर सिंह
8. शंकर सिंह
9. श्योजी सिंह पि. अमर सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम बनेवडा, नसीराबाद
10. आजाद खान पुत्र भंवर खान जाति मेहरात निवासी ग्राम पचंमता, नसीराबाद,
11. मैना पत्नी शंकर सिंह जाति रावत निवासी जाटिया, नसीराबाद
12. मैनेजर यूनियन बैंक शाखा भवानीखेडा, नसीराबाद
13. सक्षम अधिकारी वन विभाग, नसीराबाद
14. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

——— अप्रार्थीगण :— 1 से 13 अनुपस्थित, 14 जरियें राज. पैरोकार

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

—: आदेश :— दिनांक :— 30.10.24

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उत आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बनेवडा के हाल खसरा नम्बर 34 रकबा 2.44 की आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की है। उक्त आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। आराजी मुतनाजा के सीमाज्ञान के लिये आवेदन पेश करने पर मौके पर विवाद की स्थिति की टिप्पणी के साथ मौका पर्चा दिनांक 04.07.24 को हल्का पटवारी द्वारा तैयार किया गया। आराजी मुतनाजा के समीप अप्रार्थीगण की भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण द्वारा बिना किसी हक व अधिकार के दखलदांजी की जा रही है। आराजी मुतनाजा की सीमा की वास्तविक व सही स्थिति की जानकारी हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी हेतु उक्त आवेदन पत्र पेश किया जा रहा है। अतः पत्थरगढी के आदेश पारित करने की कृपा करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 13 बावजूद तामील अनुपस्थित रहे, राज. पैरोकार ने जवाब नहीं पेश करना जाहिर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.04.04 10:57:04 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी के सीमाज्ञान हेतु आवेदन पत्र पेश किया, पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 04.07.24 को आराजी मुतनाजा का सीमाज्ञान किया गया। किन्तु आवेदन पत्र द्वारा प्रार्थी ने आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी का निवेदन किया है। उक्तानुसार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य सीमा का विवाद है। अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र का खण्डन नही किया है। उक्त आराजी की पत्थरगढी होने से अप्रार्थीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। अप्रार्थीगण अपनी आपत्ति पत्थरगढी के समय भी पेश कर सकता है। प्रार्थीगण पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम बनेवडा के हाल खसरा नम्बर 34 रकबा 2.44 की आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उभयपक्ष की विधिवत उपस्थिति में आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.04.04 10:57:04 IST
Reason: SelfAttested